न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र.

276
27-5-14

निग. 1773-III-14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs. 20/-

दिवाकर सिंह तनय गुरु प्रशन्न सिंह निवासी ग्राम बैरहन तह. सिरमौर जिला-
रीवा म.प्र. ...... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मोतीलाल तनय शम्भू प्रसाद निवासी ग्राम धमाका तह. -सिरमौर, जिला-रीवा
..........गैरनिगरानीकर्ता

प्रभात सिंह एड. द्वारा आज दिनांक 27-5-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 1947
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज .... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर,

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा म.प्र. का अपील प्र.क्र. 55/अपील/00-01 आदेश दिनांक-10.6.09

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू. रा. सं.

================================

निगरानी के आधार निम्न है:-

§1§ यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

§2§ यह कि ग्राम धमाका की भूमि नम्बर 131 रकवा-3.39एकड़, के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता हैं जिसमें उक्त भूमि को रामबहादुर सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के क्रय किया था। भूमि के अंश भाग 1.00एकड़ में गैरनिगरानीकर्ता का कभी कब्जा दखल नही रहा। उनके रिश्तेदार पटवारी हल्का मौहरिया, श्री रामखेलावन तिवारी की सेवा सन 1995-96 में समाप्त हुई थी, उनके द्वारा निगरानीकर्ता के स्वत्व आधिपत्य की भूमि पर गैर निगरानीकर्ता का कब्जा दर्ज कर दिया था जबकि उन्हे कब्जा दर्ज करने का कोई अधिकार ...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1773-III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के पुनरावलोकन आदेश दिनांक 10-6-2009 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27.5.14 को प्रस्तुत की गई है, जो कि आदेश पारित होने के 5 वर्ष विलम्ब से है। यद्यपि निगरानी के साथ विलम्ब माफी के लिए म्याद अधिनियम की धारा-5 का आवेदन शपथ-पत्र सहित दिया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा विलम्ब माफी के सम्बन्ध में मुख्य कारण उसके अधिवक्ता के चाचा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके अधिवक्ता द्वारा आदेश की जानकारी नहीं देना उल्लेख किया गया है, किन्तु उसके द्वारा इतने वर्षों में कब-कब अधिवक्ता से जानकारी के लिए सम्पर्क किया गया कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे भी निगरानीकर्ता का यह कहना कि अधिवक्ता के चाचा की मृत्यु हो जाने से उसके द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दी गई,	

[क्र. प. उ.

R. 1723/III/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	Ramratan कार्यवाही तथा आदेश मोतीलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	→ कतई विश्वास योग्य नहीं है। म्याद अधिनियम की धारा 5 के विलम्ब का समाधान पूर्वक स्पष्ट कारण बताना आवश्यक है। निगरानी कर्ता द्वारा विलम्ब माफी के आवेदन में बताया गया कारण प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं होने से यह निगरानी मामला इसी प्रक्रम में निरस्त किया जाता है। प्रकरण पंजी से खारिज किया जाय। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाय। तदोपरान्त प्रकरण दा. द. हो। 18.12.15 सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.